पर्चा डिक्री

## न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 23/2021

1. रामस्वरूप पुत्र राजेराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. राजेराम पुत्र कुरडाराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. जवान्री पुत्री राजेराम पत्नी दाताराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. प्रकाशी पुत्री राजेराम पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी कणाऊ हाल निवासी तारानगर त0 भादरा।
4. रोशनी पुत्री राजेराम पत्नी सुमेर सिंह जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा हाल निवासी आर्यनगर त0 हिसार।
5. कमला पुत्री राजेराम पत्नी शिशपाल निवासी कणाऊ हाल निवासी तारानगर जिला चुरू।
6. बैक ओ.बी.सी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पुनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ [illegible] स0 232/234 के खसरा स0 422 की 4.274है0 खसरा स0 439 की 16 [illegible] है0 233है0 में से प्रतिवादी सं0 1 राजेराम उर्फ राजाराम का नाम कलम [illegible] करवाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 [illegible] ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए [illegible] किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क [illegible] स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रामस्वरूप को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/3/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

## न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस**

प्रकरण सं0 : 23/2021

1. रामस्वरूप पुत्र राजेराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. राजेराम पुत्र कुरडाराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. जवात्री पुत्री राजेराम पत्नी दाताराम जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. प्रकाशी पुत्री राजेराम पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी कणाऊ हाल निवासी तारानगर त0 भादरा।
4. रोशनी पुत्री राजेराम पत्नी सुमेर सिंह जाति कुम्हार निवासी कणाऊ त0 भादरा हाल निवासी आर्यनगर त0 हिसार।
5. कमला पुत्री राजेराम पत्नी शिशपाल निवासी कणाऊ हाल निवासी तारानगर जिला चुरू।
6. बैक ओ.बी.सी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति : वकील श्री पुनमचंद शर्मा : वादी**
वकील श्री अक्षय कुमार : **प्रतिवादीगण**

**निर्णय** **दिनांक : 02-03-2021**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाउ के खाता स0 232/234 के खसरा स0 422 की 4.274है0 खसरा स0 439 की 16.959है0 कुल 21.233है0 व इसी प्रकार खाता स0 230/232 के खसरा स0 419 की 0.518है0 खसरा स0 488 की 0.645है0 कुल 1.163है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी स0 1 राजेराम उर्फ राजाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता कुरड़ाराम की खातेदारी हुआ करती थी। कुरड़ाराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 राजेराम उर्फ राजाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भू[illegible] तो हकं एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को स[illegible]उ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, [illegible] इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि [illegible]सार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्[illegible] हो गये लिहाजा यही बनाए मुस्तारस्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:12 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5



Scanned with CamScanner

द्वारा आपसी सहमती दावा की सभी मद संख्याओ को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्रों के साथ राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 6 को वकील वादी द्वारा तर्क अंकित किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु रामस्वरूप पुत्र राजेराम जाति कुम्हार निवासी कणाउ के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी कणाउ संवत 2071–74 प्रदर्श 1 जमाबंदी खाता स0 230/232 प्रदर्श 2 जमाबंदी भू प्रबन्धक विभाग प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 व शपथ पत्र मय वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही कणाउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी कणाउ संवत 2071–74 प्रदर्श 1 जमाबंदी खाता स0 230/232 प्रदर्श 2 जमाबंदी भू प्रबन्धक विभाग प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 व शपथ पत्र मय वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 3 से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति साबित है तथा प्रदर्श 4 व 5 में वारिसप्रमाण पत्र में राजेराम के एक पुत्र रामस्वरूप व चार पुत्रियां जवात्री, प्रकाशी, रोशनी, कमला के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। अतः मुताबिक राजीनामा के अनुसार रोही मौजा कणाउ के खाता स0 230/232 के खसरा स0 419 की 0.518है0 खसरा स0 488 की 0.645है0 कुल 1.163है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी स0 1 राजेराम उर्फ राजाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को यथावत प्रतिवादी राजेराम उर्फ राजाराम के नाम रखते हुए शेष वाद भूमि रोही मौजा कणाउ के खाता स0 232/234 के खसरा स0 422 की 4.274है0 खसरा स0 439 की 16.959है0 कुल 21.233है0 में वादी रामस्वरूप को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें चुकिं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

## **क्रियात्मक आदेश**

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता स0 232/234 के खसरा स0 422 की 4.274है0 खसरा स0 439 की 16.959है0 कुल 21.233है0 में से प्रतिवादी सं0 1 राजेराम उर्फ राजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुकिं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय [illegible] अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रामस्वरूप को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:12 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

निर्णय आज दिनाक 02-03-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(कोर्ट टैक) भादरा
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner